कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–सीआईडी/विशा/रानिक/स्थायी आदेश 3/2019/83 दिनांकः–22.03.2019

स्थायी आदेश संख्या 05/2019

विषय : महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना के संबंध में राज्य नियंत्रण कक्ष एवं अन्य का दायित्व।

पुलिस मुख्यालय, जयपुर में राज्य नियन्त्रण कक्ष की स्थापना परिपत्र संख्या विविध/एसबी 1115 पुलिस स्पेशल/प–1/84 दिनांक 19 अप्रेल 84 के अन्तर्गत की गई थी। इसका मुख्य उदेश्य समस्त रेन्ज पुलिस महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों, वृत्ताधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं जोन अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कानून एवं व्यवस्था को प्रभावित करती हों एवं आपात स्थितियों से संबंधित सूचनाओं का संकलन एवं उनका राज्य सरकार एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आदान–प्रदान करना है। राज्य नियंत्रण कक्ष के कुशल संचालन हेतु स्थायी आदेश संख्या 5/98 के अधिक्रमण (supersession) में निम्नलिखित आदेश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. <u>भूमिका</u> :–

राज्य नियन्त्रण कक्ष पुलिस मुख्यालय का एक अभिन्न अंग है। इसके द्वारा समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाकर उनसे सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया जाता है। यह पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली एवं जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुये अपने कार्य का निष्पादन करेगा। इसके द्वारा खास तौर पर मुख्य राजनैतिक दलों की गतिविधियाँ, विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों जैसे छात्र, किसान, मजदूर, युवा एवं कर्मचारी आदि, बड़ी दुर्घटनायें, साम्प्रदायिक एवं जातीय झगड़े, सनसनीखेज घटनाएं, चुनाव, विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन, आतंकवादी गतिविधियाँ, महिलाओं व समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार इत्यादि, जो कानून–व्यवस्था की स्थिति पर प्रभाव डालते हों, का संकलन किया जायेगा। इन विषयों से संबंधित सूचनाएं शासन/प्रशासन के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः इन विषयों पर समय पर सम्पूर्ण सूचना राज्य नियन्त्रण कक्ष में पहुंचना अति आवश्यक है।

2. <u>कार्य प्रणाली</u> :–

राज्य नियन्त्रण कक्ष का मुख्य दायित्व रेंज महानिरीक्षकगण/पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षकगण/पुलिस उपायुक्त, वृत्ताधिकारियों, थानाधिकारियों व विशेष शाखा के जोन अधिकारियों/जोन यूनिटस प्रभारियों से सीधा सम्पर्क बनाकर अविलम्ब सूचना प्राप्त कर संप्रेषण करना है। उपर्युक्त कार्य हेतु टेलीफोन, ई–मेल, फैक्स एवं मोबाईल की सुविधाओं का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाये। ओपन सोर्स यथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जाये तथा अति महत्वपूर्ण घटनाक्रम ज्ञात होने पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाये। राज्य नियन्त्रण कक्ष मुख्यतया निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केन्द्रित करेगा :–

1. साम्प्रदायिक घटनाएं एवं तनाव।
2. जातीय झगड़े।
3. जनप्रतिनिधियों से संबंधित संगीन घटनाएं।
4. आंतकवादी गतिविधियाँ।
5. समाज के विभिन्न वर्गों/संगठनों से संबंधित घटनाएं जैसे बन्द, जुलूस आदि, जो कानून–व्यवस्था को प्रभावित करते हों।

6. पुलिस द्वारा बल प्रयोग से संबंधित घटनाएं।
7. राष्ट्रीय/राज्य मार्गों, मेगा हाइवे व रेल मार्गों को अवरूद्ध करने संबंधी घटनाएं।
8. पुलिस की छवि को प्रभावित करने वाली संगीन घटनाएं।
9. निम्नलिखित घटनाएं, यदि वे संगीन/सनसनीखेज हों :–
   (1) डकैती
   (2) लूट
   (3) कत्ल
   (4) सामूहिक बलात्कार
   (5) पॉक्सो एक्ट
10. महिला एवं अनुसूचित जाति/जनजाति पर गंभीर अत्याचार से संबंधित मामले।
11. धार्मिक संस्थानों में होने वाली संगीन वारदातें।
12. अति विशिष्ट व्यक्तियों की यात्राऐं।
13. चुनावी गतिविधियाँ।
14. पुलिस कर्मचारियों की अप्राकृतिक मृत्यु।
15. पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु/पुलिस अभिरक्षा से भागने की घटनाएं।
16. प्राकृतिक आपदाऐं, जैसे बाढ़, महामारी, भीषण अग्निकाण्ड आदि, जिनमें जन–धन आदि की हानि हुई हो।
17. रेल, वायुयान, सड़क व पानी में डूबने से संबंधित संगीन घटनाएं।
18. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर घटित संगीन घढनाएं।
19. विदेशियों की मृत्यु एवं उनके साथ घटित अपराध।
20. ऐसी घटनाएं जिनसे हड़ताल होने की संभावना हो (यथा डॉक्टर के साथ या किसी राज्य कर्मी के साथ मारपीट आदि की घटनाएं)।
21. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देश।

3. **<u>सूचनाएं किस स्तर के अधिकारियों को दी जायेगी</u>** :–

राज्य नियन्त्रण कक्ष में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं समय–समय पर प्राप्त होती रहती हैं। आसूचना को सही समय पर सही जगह पर पहुंचाने से ही राज्य नियन्त्रण कक्ष की सार्थकता सिद्ध होती है। हालांकि यह चिह्नित करना संभव नहीं है कि किस प्रकार की सूचना किस स्तर के अधिकारी को दिया जाना आवश्यक होगी, फिर भी राज्य नियन्त्रण कक्ष के वरिष्ठ अधिकारी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुये निम्नलिखित अधिकारियों को सूचना देंगे :–

1. मुख्य सचिव	केवल अति महत्वपूर्ण एवं गंभीर घटनाओं की सूचना।
2. अति. मुख्य सचिव गृह	महत्वपूर्ण एवं अति महत्वपूर्ण सूचनाएं।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री	महत्वपूर्ण एवं अति महत्वपूर्ण सूचनाएं।
4. गृह मंत्री के विशिष्ट सहायक (यदि कोई हो तो)	महत्वपूर्ण एवं अति महत्वपूर्ण सूचनाएं।
5. अति. महानिदेशक पुलिस/ महानिरीक्षक पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस (सीएमओ)	महत्वपूर्ण एवं अति महत्वपूर्ण सूचनाएं।

पुलिस मुख्यालय स्तर पर :–

1. महानिदेशक पुलिस	महत्वपूर्ण एवं अति महत्वपूर्ण सूचनाएं।
2. महानिदेशक / अति. महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था	कानून–व्यवस्था संबंधी सूचनाएं।
3. अति. महानिदेशक पुलिस	उनसे संबंधित विषयों की सूचनाएं / रेंज प्रभारी अति. महानिदेशक पुलिस को उनकी रेंज से संबंधित सूचनाएं।
4. अति. महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा	अपराध संबंधी सूचनाएं।
5. अति. महानिदेशक पुलिस इन्टैलीजेन्स	समस्त सूचनाएं।
6. महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक पुलिस इन्टैलीजेन्स	समस्त सूचनाएं।
7. महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक पुलिस सुरक्षा	सुरक्षा संबंधी सूचनाएं।
8. उप महानिरीक्षक पुलिस / पुलिस अधीक्षक विशा	समस्त सूचनाएं।
9. उप महानिरीक्षक पुलिस / पुलिस अधीक्षक सुरक्षा	सुरक्षा संबंधी सूचनाएं।

10. प्राकृतिक आपदाओं एवं गंभीर दुर्घटनाओं की सूचनाएं राज्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी अवश्य दी जाये।

कुछ मामलों में सभी अधिकारियों को सूचना देना आवश्यक नहीं हो सकता है एवं कुछ मामलों में उपर्युक्त अधिकारियों के अलावा भी सूचना देना आवश्यक हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रभारी, राज्य नियन्त्रण कक्ष को अपने विवेक का प्रयोग कर निर्णय करना होगा। उपर्युक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में उस विभाग के उनसे कनिष्ठ स्तर के अधिकारी को सूचना दी जाये।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण को सूचना देने पर उनके द्वारा अक्सर और जानकारी मांगी जाती है। अतः इस बारे में आवश्यक सूचना एकत्रित कर संबंधित अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराये जाने का दायित्व भी प्रभारी, राज्य नियन्त्रण कक्ष का होगा।

4. **स्वीकृत नफरी, सुपरविजन एवं पारियां आदि** :–

राज्य नियंत्रण कक्ष की स्वीकृत नफरी निम्न प्रकार है:–

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	1
पुलिस उप अधीक्षक	1
निरीक्षक पुलिस	3
उप निरीक्षक पुलिस	6

सहा. उप निरीक्षक	6
कानिस्टेबल	9
कानि. चालक	3

5. **सुपरविजन** :–

राज्य नियंत्रण कक्ष का समस्त कार्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संचालित होगा। सामान्य सुपरवीजन, पारियों का कार्य बांटना एवं बदलना, अवकाश स्वीकृत करना इत्यादि उनके मुख्य कर्तव्य होंगे। वे राज्य नियंत्रण कक्ष में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश का दिन भी निर्धारित करेंगे। उप महानिरीक्षक पुलिस (इन्टै.) एवं पुलिस अधीक्षक (वि0शा0) समय–समय पर निर्देशन व सुपरविजन करेंगे। उनके द्वारा समय–समय पर इनके कार्य को आकस्मिक चैक करना चाहिये जिससे गतिशीलता बनी रहे। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इन्टै.) से रहवरी भी ली जानी चाहिये।

6. **पारियाँ** : –

राज्य नियंत्रण कक्ष में तैनात अधिकारी/ कर्मचारी निम्न तीन पारियों में ड्यूटी करेंगे। प्रथम पारी प्रातः 7:30 बजे से 2:30 पीएम तक, द्वितीय पारी 2:00 पीएम से 9:00 पीएम तक एवं तृतीय पारी 8:00 पीएम से 8:00 एएम तक कार्य करेगी। पूर्व पारी के कर्मचारी उनका समय समाप्त होने के बाद दूसरी पारी के अधिकारियों/कर्मचारियों के ड्यूटी पर उपस्थित होने के बाद उन्हें ड्यूटी सुपुर्द करने के पश्चात् ही कार्यमुक्त होंगे। किसी भी पारी में किसी कर्मचारी के अनुपस्थित होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूसरी व्यवस्था करेंगे एवं उसके बाद ही पूर्व पारी के कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़ेंगे। ड्यूटी समाप्ति के बाद नई पारी में आये कर्मचारियों को पेन्डिंग कार्य/महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी पूर्व पारी के वरिष्टतम अधिकारी द्वारा करवायी जायेगी तथा पूर्व पारी के प्रभारी रोजनामचे में इस बाबत् रिपोर्ट भी दर्ज करेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य नियंत्रण कक्ष के समस्त कार्य का सुपरविजन करेंगे। अति महत्वपूर्ण घटनाओं की इत्तला होते ही वह सम्बन्धित फील्ड के अधिकारी से जरिये टेलीफोन सम्पर्क कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा समस्त राजस्थान पुलिस के टेलीफोन नम्बर की सूची एवं पुलिस विभाग से सम्बन्धित अन्य विभागों एवं केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा अन्य गुप्तचर/जांच ऐजेन्सियों के टेलीफोन नम्बर भी राज्य नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध होने चाहिये। वरिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि इस सूची को समय–समय पर अपडेट करवाते रहें। रूटीन की सूचनाएं उप अधीक्षक पुलिस जो राज्य नियंत्रण कक्ष में पारी अधिकारी होगा या उसके अधीन निरीक्षक पुलिस द्वारा दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में वह सूचनाएं अति.पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप अधीक्षक द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों/पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को दी जायेगी। पुलिस उप अधीक्षक टेलीफोन पर प्राप्त सूचनाओं का अवलोकन कर उसकी गम्भीरता का आंकलन करेगें एवं उस पारी में तैनात अन्य कार्मिकों को आवश्यक निर्देश देंगे।

7. **रिकॉर्ड का संधारण** :–

राज्य नियंत्रण कक्ष में निम्नलिखित रजिस्टरों का संधारण किया जाये :–

1. जिलों से प्राप्त सूचनाओं का रजिस्टर।
2. जोन ऑफिसों से प्राप्त सूचनाओं का रजिस्टर।
3. माननीय मुख्यमंत्री एवं महामहिम राज्यपाल, राजस्थान के मूवमेन्ट का रजिस्टर।
4. वी.वी.आई.पी. के मूवमेन्ट का रजिस्टर।
5. याददाश्त रजिस्टर।
6. फैक्स भेजने/प्राप्त करने का रजिस्टर।

जिला/जोन से प्राप्त सूचना के रजिस्टर को तीन कॉलमों में संधारित किया जावेगा। प्रथम कॉलम में समय एवं प्राप्तकर्ता का नाम व पद, दूसरे कॉलम में संदेश का मजमून एवं सूचना देने वाले अधिकारी का नाम व पद लिखा जावेगा तथा तीसरे कॉलम में किन–किन अधिकारियों को किस–किस समय पर सूचना दी गई, अंकित किया जावेगा। सभी प्राप्त सूचनाओं के नीचे प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम लिखना आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियां होने पर/विशेष इन्तजामों के मौके पर राज्य विशेष शाखा में उनसे जुड़ी शाखा के प्रभारी पुलिस अधीक्षक/अति. पुलिस अधीक्षक जैसे वी.वी.आई.पी. यात्रा के समय पुलिस अधीक्षक सुरक्षा/अति. पुलिस अधीक्षक सुरक्षा दीपावली, होली, मोहर्रम व ईद आदि के समय पुलिस अधीक्षक विशा/अति. पुलिस अधीक्षक प्रथम, छात्र व कर्मचारी आन्दोलन आदि के मौके पर पुलिस अधीक्षक विशा/अति. पुलिस अधीक्षक द्वितीय एवं वामपंथी पार्टियों व मजदूरों के आन्दोलन के समय पुलिस अधीक्षक विशा/अति. पुलिस अधीक्षक तृतीय संबंधित शाखा के स्टाफ को राज्य नियंत्रण कक्ष में तैनात कर विशेष इन्तजाम पूरा होने तक राज्य नियंत्रण कक्ष की सहायता करेंगे। इसके लिए हर मौके पर पृथक आदेश देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

8. **बुलेटिन** : –

राज्य नियंत्रण कक्ष से दैनिक बुलेटिन प्रातःकाल एवं सायंकाल निकाली जायेगी एवं उसका वितरण वर्तमान में जिन अधिकारियों के पास किया जा रहा है, उनको किया जायेगा। प्रातःकालीन बुलेटिन प्रातः 7 बजे एवं सायंकालीन बुलेटिन सांयकाल 8 बजे तक हर हालत में भेजी जानी चाहिए। बुलेटिन टाईप करने से पूर्व बुलेटिन को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप अधीक्षक, राज्य नियंत्रण कक्ष से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा एवं उसके पश्चात् ही इसे टाईप करवायी जावेगी। बुलेटिन में सिर्फ अति सनसनीखेज सूचनाएं, जो कानून एवं व्यवस्था को विपरित रूप से प्रभावित करती हों अथवा जिनमें जन प्रतिक्रिया बड़े पैमाने पर प्रभावित होती हो, का समावेश करना चाहिए। रूटीन प्रकार की सूचनाएं इसमें नहीं लिखी जानी चाहिए।

9. <u>राज्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध साज–सामान</u> : –

राज्य नियंत्रण कक्ष में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है : –

1. पी एण्ड टी टेलीफोन
2. फैक्स मशीन
3. कम्प्यूटर (ई–मेल/एसएमएस सुविधा सहित)
4. फोटोस्टेट मशीन
5. मोबाईल फोन
6. टीवी
7. वॉइस लॉगर
8. वाहन

उपरोक्त सभी सुविधाएं आवश्यकतानुसार प्रयोग में ली जानी चाहिए। फैक्स मशीन पर उपलब्ध एस.टी.डी. टेलीफोन का प्रयोग फैक्स भेजने के लिए ही किया जावे। इसके लिए अलग से एक रजिस्टर का संधारण करना होगा। अत्यावश्यक स्थिति में अगर फैक्स मशीन के एस.टी.डी. टेलीफोन को अलग से प्रयोग में लिया जाता है तो उसकी रजिस्टर में ऐन्ट्री की जावे जिससे इस सुविधा का दुरूपयोग न हो। राज्य नियंत्रण कक्ष के लिए 2 दो मोटर साईकिलें उपलब्ध हैं। उपरोक्त मोटर साईकिलों के रख–रखाव व प्रयोग के लिए जिम्मेदारी अति. पुलिस अधीक्षक, राज्य नियंत्रण कक्ष की होगी। इन गाड़ियों पर ड्राइवर हर समय उपलब्ध रहेंगे। इन गाड़ियों की लॉग बुकें भी नियमित रूप से समय पर भरी जानी चाहिए। अगर राज्य नियंत्रण कक्ष में किसी प्रकार के साज–सामान की खरीद की आवश्यकता हो तो स्टोर प्रभारी पुलिस अधीक्षक (विशा) की इजाजत के बिना नहीं खरीदेंगे। राज्य नियंत्रण कक्ष के स्टाफ के अवकाश या अन्यत्र ड्यूटी पर जाने की मंजूरी बिना वैकल्पिक व्यवस्था के नहीं दी जावे।

10. <u>नाकाबंदी</u> : –

विशिष्ट महानिदेशक पुलिस, कानून–व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या 1958 दिनांक 16.10.18 के द्वारा नाकाबंदी के बारे में विस्तृत आदेश निकाले गये हैं जिसमें पुलिस अभिरक्षा/बंदी/सजा भुगतने वाले कैदियों के फरार होने अथवा किसी वाहन द्वारा अपराध घटित करके भागने एवं राहजनी तथा आतंकवादी घटनाएं घटित होने आदि की इत्तला विलम्ब से एवं अपूर्ण दी जाती है जिससे राज्य नियंत्रण कक्ष राज्य में नाकाबंदी के संबंध में वांछित सूचनाएं संबंधित को प्रेषित नहीं कर पाता है। इस आदेश की कठोरता से पालना की जावे जिससे राज्य नियंत्रण कक्ष ऐसी नाकाबंदी करने के लिए एक नोडल एजेन्सी की तरह सुचारू रूप से कार्य कर सके।

11. <u>उपसंहार</u> : –

कालान्तर में राज्य नियंत्रण कक्ष की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। एक ओर इससे राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एवं दूसरी ओर पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी अपेक्षाएं बढ़ी है। जिस स्तर की सुविधाएं एवं साज–सामान राज्य नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध कराया हुआ है, यह अपेक्षा की जाती है कि उसी के अनुरूप राज्य नियंत्रण कक्ष मुस्तैदी से कार्य करे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब आसूचना एवं सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य नियंत्रण कक्ष में तैनात अधिकारी/कर्मचारी पूर्ण विवक के साथ अपने दायित्वों का वहन करेंगे।

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान मय पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर।
4. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय पुलिस उपायुक्त (जयपुर/जोधपुर) एवं जीआरपी (अजमेर/जोधपुर)।
6. समस्त कमाण्डेन्ट आरएसी/एमबीसी बटालियन, राजस्थान।
7. समस्त प्रिन्सिपल/ कमाण्डेन्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, राजस्थान।
8. समस्त जोन अधिकारी, सीआईडी (विशा) मय बी आई जैसलमेर/बाड़मेर।
9. अति. पुलिस अधीक्षक, राज्य नियन्त्रण कक्ष, जयपुर।
10. समस्त जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष, राजस्थान।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान